

Intermediate
Copy on file
with legal opinion

राजस्थान सरकार

सामाजिक ज्याप एवं आधिकारिता विभाग

जी. ३/१, राजपहले रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाइन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक: एफ ११(१६६)DDBC(R&P)/SJED/2016

जयपुर दिनांक

२६.५.०८

१९/०५/२०१७

अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ५२३०७ दिनांक ०६.०८.१९९४ द्वारा क्र०स० ५ पर बंजारा, बालदिया, लबाना क्र.स. १५ गडरिया (गाडरी), गायरी क्र.स. १६ पर गाडिया-लोहार, गाडोलिया क्र.स. २० पर गूजर, गुर्जर एवं क्र.स. ४४ पर राईका, रेयारी (देवासी) को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में समिलित किया गया था। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, जलजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में स्थितों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, २००८ को दिनांक ३१.०७.२००९ से राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ४ जातियों यथा १. बंजारा, बालदिया, लबाना २. गाडिया-लोहार, गाडोलिया ३. गूजर, गुर्जर ४. राईका, रेयारी (देवासी) जातियों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ ११(१६४)/आरएप्डपी/सान्याअवि/०२/१६४५५ जयपुर दिनांक २५.०८.०९ द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग में समिलित किया गया एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ ११(१६४)/आरएप्डपी/सान्याअवि/१२/८३५७३ जयपुर दिनांक २८.११.२०१२ द्वारा गडरिया(गाडरी), गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में क्र.स. ५ पर समिलित किया गया।

उक्त पश्चात् राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में स्थितों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, २०१५ को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ ७(२)/डीओपी/ए-II/२०१५-१ जयपुर दिनांक १६.१०.२०१५ द्वारा राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम, २०१५ की धारा २(डी) में उक्त पाँच जातियों को यथा १. बंजारा, बालदिया, लबाना २. गाडिया-लोहार, गाडोलिया ३. गूजर, गुर्जर ४. राईका, रेयारी (देवासी) ५. गडरिया(गाडरी), गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में नाम निर्देशित किया गया।

उक्त अधिनियम, २०१५ को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डॉवीसीडब्लूपी न. १६४५/२०१६ कैप्टन गुरुविन्दर सिंह (रिटायर्ड) क्र.अन्य बनाम स्टेट एफ राजस्थान, डॉ.वी.सी.डब्लू.पी. न. २७९५/२०१६ कानाशाप धायल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में अपने निर्णय दिनांक ०९.१२.२०१६ द्वारा अधिसूचना १६.१०.२०१५ और राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में स्थितों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, २०१५ को खिलापिड़त (struck down) किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में पुनः क्र०स० ५ पर बंजारा, बालदिया, लबाना क्र.स. १५ गडरिया (गाडरी), गायरी क्र.स. १६ पर गाडिया-लोहार, गाडोलिया क्र.स. २० पर गूजर, गुर्जर एवं क्र.स. ४४ पर राईका, रेयारी (देवासी) को समिलित किया जाता है।

भूपति अधिसूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रियल अपील संख्या 1464-66/2017 के दस्तावेज़ गुरुविकाल भैंह व अन्य दानाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन (under subject to the suit come of civil appeal no. 1464-66/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court) रहे हैं।

उक्त अधिसूचना दिनांक 09.12.2016 से प्रभावी होती है।

✓
15
(अधिकारी जैन)

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव

जयपुर, दिनांक

9/25/2012

- फलाफ़ल एक 11(166)DC(R&P)/SJED/2016
प्रतिलिपि निम्न को शूष्टार्थ हेतु प्रेषित है— 26529 - 720
- 1) प्रमुख शासन सचिव, महाभद्रिग राज्यपाल, भैंह व अन्य दानाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन (under subject to the suit come of civil appeal no. 1464-66/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court) रहे हैं।
 - 2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान राज्यकार, जयपुर।
 - 3) विशिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
 - 4) अध्यक्ष राजस्त गण्डल राजस्थान अजगर।
 - 5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान राज्यकार, जयपुर।
 - 6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
 - 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान राज्यकार, जयपुर।
 - 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर।
 - 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा विधान बोर्ड जयपुर राज०।
 - 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्वयिता पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज०।
 - 12) समस्त संघातीय आयुक्त।
 - 13) समस्त जिला कलक्टर।
 - 14) समस्त जिला पुलिस अधिकारी।
 - 15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड।
 - 16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
 - 17) अधीक्षक, कन्नीय मुद्रणालय जयपुर राज० को राजकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
 - 18) गार्ड फार्मल।

(डॉ. समिति शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव